FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District (जिला):** Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Ambala **Year (वर्ष):** 2024

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0015 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 16/07/2024 16:13 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	THE BHARATIYA NYAYA SANHITA (BNS), 2023	308(2)
2	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** **Date from (दिनांक से):** **Date To (दिनांक तक):**

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** **Time To (समय तक):**

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 16/07/2024 **Time (समय):** 15:15 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 011 **Date and Time (दिनांक और समय):** 16/07/2024 16:13 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** NORTH, 3 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): पुलिस चौंकी न 3,अम्बाला

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** सुखदीप सिंह

(b) **Father's Name (पिताका नाम):** हरनेक सिंह

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 1997 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	**Present Address**	**सरसीणी, लालड़ू, LALRU, SAS NAGAR, PUNJAB, INDIA**
2	**Permanent Address**	**सरसीणी, लालड़ू, LALRU, SAS NAGAR, PUNJAB, INDIA**

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-8837652936

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	हरविन्द्र होमगार्ड			1. चौंकी न 3,अम्बाला,AMBALA CITY,AMBALA,HARYANA,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

श्री मान जी, नकल लेख निम्न प्रकार से है

सेवा में,

इन्सपैक्टर

एन्टी करप्शन ब्यूरो,

अम्बाला।

श्रीमान जी,

निवेदन है कि मै सुखदीप सिह पुत्र श्री हरनेक सिहं वासी सरसीणी थाना लालड़ू जिला मोहाली पंजाब का रहने वाला हूं। मेरी बहन संतोष रानी पत्नी सुखबीर सिहं वासी हिरण छप्पर जिला यमुनानगर की रहने वाली है। जो अब करीब 10

साल से मकान नम्बर 2789 जगाधरी गेट लक्की समोसे वाली गली में अपने परिवार के साथ किराए पर रह रहे हैं। मेरी बहन व जीजा पीर बाबा का भजन-किर्तन का काम करते है जहां पर अशोक कुमार वासी अम्बाला भी किर्तन में आता जाता था जिस कारण उनकी जानकारी अशोक कुमार से हो गई थी। दिनांक 27-06-2024 को मेरी बहन व जीजा अपने बुआ के गांव मसीम्बल जिला अम्बाला में किर्तन करने गए थे। उनके तीनो बच्चे घर पर थे। जो हमारे बाद में अशोक कुमार हमारे किराए के घर आया और एक बैग बैड के अन्दर रखकर चला गया और कुछ देर बाद पंजाब पुलिस के कुछ कर्मचारी हरियाणा पुलिस के साथ मेरी बहन के घर बैड में रखा हुआ बैग निकालकर ले गए। हमे नही पता उसमें क्या था जो हमे फोन के माध्यम से बच्चो ने यह बात बताई तो हम सूचना पाकर दिनांक 28.06.2024 को दोपहर के समय अपने आ गए। इसके बाद दिनांक 29.06.2024 को हरियाणा पुलिस का 01 पुलिस कर्मचारी उनके घर पर आया और डराने घमकाने लगा की आपके घर पर मादक पदार्थ मिला है आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा अगर आपको मुकदमा दर्ज नही करवाना है तो आप हमारे साथ सैटिंग कर लो और अपना मोबाईल नम्बर देकर यह कहकर चला गया कि कल थाने में आ जाना। जिस कारण मेरी बहन ने मेरे फोन पर फोन करके सारी बात बतलाई जिस कारण दिनांक 30.06.2024 मैं व मेरी पिता अपनी बहन के घर गए और मैने अपने मोबाईल नम्बर 8837652936 से मेरी बहन को दिए हुए मोबाईल नम्बर 9068882054 पर फोन करके सम्पर्क किया। जिसने कहां कि आप चौंकी नम्बर-3 के बाहर ही खडे हो जाओ मै बाहर आकर मिलता हूं मै और मेरे पिता जी अपनी गाडी में चौंकी नम्बर-3 के गेट के बाहर करीब 30 मिनट खडे रहे। कुछ देर बाद 02 व्यक्ति मोटरसाईकिल पर आए और उनमे से एक व्यक्ति हमे चौंकी के पास में ही जूस की दुकान पर ले गया। जिसमे से एक व्यक्ति ने कहां कि मेरा हरविन्दर नाम है और मै पुलिस कर्मचारी हूं और कहा कि हम पर्चा नही करेगे पर आपको 50000 रू0. देने पडेगें, मैने व मेरे पिता जी ने उनसे बार-2 प्रार्थना कि, की हम करीब आदमी है हमारे पास 50000 रू0 नही है। परन्तु वह नही माने तो हमने कहां कि अगर पर्चा बनता है तो आप पर्चा कर दो हम यह कहकर वहां से चले गए। इसके बाद दिनांक 09.07.2024 को उसी पुलिस कर्मचारी हरविन्दर फोन आया, वह कहने लगा की मैने उपर बात कर ली है आप इस शनिवार को वही जूस वाली दुकान पर आ जाना। मैंने शनिवार को उसी जूस की दुकान पर आकर उसके पास फोन किया तो कुछ ही देर बाद एक सरकारी मोटरसाईकिल पर हरविन्दर सिंह पुलिस कर्मचारी एक अन्य व्यक्ति के साथ बिना वर्दी के आए और मुझे हरविन्द्र अपनी सरकारी मोटरसाईकिल पर बिठाकर पूराने सिविल हस्पताल के पास बने मन्दिर की दिवार की ओट में ले जाकर मुझे बोला की बहुत बडा मुकदमा है 20000 रूपए लगेगें नही तो तेरी बहन व जीजा के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। मैने डर के कारण उससे 20000 रू0 देने की हां कर दी और मेरी जेब में 10000 रू0 थे जो मैने वही पर हरविन्द्र होमगार्ड को दे दिए। जिसने कहां कि बाकी 10000 रू0 कल लेकर आ जाना। जो दिनांक 14.07.2024 व 15.07.2024 को हरविन्द्र का फोन आया और कहने लगा कि 10000 रू0 दे दो हमने अफसरो को भी जवाब देना होता है। जिसने आज दिनांक 16.07.2024 को हमे बकाया 10000 रू0 लेकर बुलाया है। जो मै 10000 रू0 हरविन्द्र को नही देना चाहता और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाना चाहता हूं। मैने हरविन्द्र की रिश्वत मांगने सम्बधी रिकार्डिग की हुई है जो मैं बाद में आपको पेश कर दूगां। मै 500/500 रूपए के 20 नोट कुल 10000 रूपए लेकर आया हूं। हरविन्द्र होमगार्ड के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जावे।

-Sd- Sukhdeep Singh
परारथी
सुखदीप सिंह s/o हरनेक सिंह
गांव- सरसीणी थाना लालडु-PB
8837652936

कार्यवाही पुलिसः- आज दिनांक 16.07.2024 को मन निरीक्षक मय मुलाजमान हाजिर कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अम्बाला था कि शिकायतकर्ता श्री सुखदीप सिह पुत्र श्री हरनेक सिहं वासी सरसीणी थाना लालडू जिला मोहाली पंजाब ने हाजिर कार्यालय आकर ने एक हस्तलिखित दरखास्त मन निरीक्षक को पेश की, जिस पर मन निरीक्षक ने शिकायतकर्ता से रेड करवाने बारे पूछताछ की और सन्तुष्ट होने पर मन निरीक्षक की हिदायत अनुसार शिकायतकर्ता ने 500-500 रूपए के 20 अदद् करेन्सी नोट मुबलिक 10,000/- रूपए पेश किए। जिनको फर्द द्वारा कब्जा पुलिस में लेकर अलग से फर्द सूचि करन्सी नोट तैयार की गई। फर्द सूचि करेन्सी नोट पर मन निरीक्षक व शिकायतकर्ता सुखदीप सिह पुत्र श्री हरनेक सिहं वासी सरसीणी थाना लालडू जिला मोहाली पंजाब ने अपने-अपने हस्ताक्षर किए। धारा 105 BNSS

2023 की अनुपालना में शिकायतकर्ता द्वारा दी गई दरखास्त को शिकायतकर्ता से पढ़वाकर विडियो ग्राफी करवाई गई। दरखास्त के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो अंम्बाला मण्डल अम्बाला के संज्ञान में लाकर राजपत्रित अधिकारी के सम्बन्ध में उचित आदेश प्राप्त होने उपरांत मेरे द्वारा श्री अश्वनी कुमार डोगरा, महाप्रबन्धक हरियाणा रोजवेज, अम्बाला को हालात बारे अवगत करवाकर पुलिस अधीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो, अम्बाला मण्डल अम्बाला के आदेश बारे बतलाया और एक छाया गवाह अपने साथ लेकर हाजिर कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो आने बारे सूचित किया गया। जो कुछ देर बाद श्री अश्वनी कुमार डोगरा उपरोक्त मय छाया गवाह रविन्द्र कुमार सी/33 हरियाणा रोजवेज, अम्बाला के हाजिर कार्यालय आये हैं जिनको आदेशों बारे अवगत करवाकर व्यस्त कार्यावही रेड होता हूं । दरखास्त के मजबून से हरविन्द्र होमगार्ड के खिलाफ सूरत जुर्म जेर धारा 7 पी.सी. एक्ट 1988 व 308(2) BNS का सरजद होना पाया गया। मन निरीक्षक मय उप नि. दलबीर सिंह न. 97/करनाल, स.उ.नि. विशाल न. 366/गुरुग्राम, ई.स.उ.नि. बीरबल न. 1368/करनाल, ई.एच.सी. कृष्ण कुमार न. 226/कुरुक्षेत्र के बा सवारी गाडी सरकारी न. एच.आर.03जी.वी.-7947 जिसका चालक मु0सि0 हरनेक सिंह न. 568/अम्बाला व गाडी प्राईवेट तथा तफतीशी बैग, विडियो कैमरा, लैपटाप व प्रिन्टर सहित रेडिंग पार्टी तैयार की गई। तहरीर बराये कायमी अभियोग हवाले मोर्हरर थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला करके हिदायत की गई कि बाद करने दर्ज अभियोग, अभियोग की स्पेशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब अम्बाला की सेवा में भिजवाई जाए व नकल मिसल पुलिस मय असल लेख अनुसंधान हेतू मौका पर भिजवाई जाए।
अज थाना – कार्यालय भ्र0नि0ब्यूरो अम्बाला
Sd. Ramphal
निरीक्षक
भ्र0नि0ब्यूरो अम्बाला मण्डल, अम्बाला।
दिनांक 16.07.2024
समय 3-15 पी.एम.

अज थाना- इस समय एक टाईप शुदा लेख निरीक्षक रामफल, भ्र0नि0ब्यूरो अम्बाला बर दरखास्त सुखदीप सिह पुत्र श्री हरनेक सिहं वासी सरसीणी थाना लालडू जिला मोहाली पंजाब बर खिलाफ हरविन्द्र होमगार्ड चौंकी न. 3 बाबत शिकायतकर्ता की बहन व जीजा के खिलाफ डरा धमका कर मुकदमा दर्ज करने की एवज मे 10000/- रुपये रिश्वत मांगने बारे बाजूर्म धारा 7 पी.सी. एक्ट -1988 व 308(2) बी.एन.एस. थाना मे प्राप्त होने पर मुकदमा न. 15 दिनांक 16/07/2024 धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 व 308(2) बी.एन.एस. थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट की स्पैशल रिपोर्ट व नकल मिसल पुलिस मय असल लेख बादस्त ई.एच.सी. जयभगवान न. 297/कैथल के सेवा मे ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब अम्बाला व अनुसंधानकर्ता के पास मौका पर भेजा जा रहा है। ईन्द्राज रिकार्ड थाना विधिनुसार किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट की अन्य प्रतियां उच्चाधिकारीगण व सम्बन्धित की सेवा मे बजरिया डाक भिजवाई जायेंगी। यह अभियोग निरीक्षक वरिन्द्र कुमार न. सी.पी./15 की हाजिरी मे दर्ज किया जा रहा है।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):** / **or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** Ramphal **Rank (पद):** I (Inspector)

No. (सं.): 754 **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): PAWAN KUMAR

Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendant of Police)

No. (सं.): DSP

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद *7* संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male					**Is pox pitted:** Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)